

संदेश

भारत तथा विदेशों में स्थित सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह दिवस 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के ऐतिहासिक अधिनियमन की वर्षगाँठ का प्रतीक है। यह हमारे लिए प्रतिवर्ष एक ऐसा अवसर है जब विदेश मंत्रालय नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी तथा अत्यंत दक्ष पासपोर्ट सेवाएँ प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की दृष्टि से प्रेरित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम सुशासन और जीवन की सुगमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है तथा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।


सार्वजनिक सेवाओं को एक निर्बाध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) में एकीकृत करने के हमारे प्रयासों ने नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष मंत्रालय ने देशभर में अपने व्यापक नेटवर्क में उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP V2.0) को सफलतापूर्वक लागू किया। इसके साथ ही, हमने विश्वभर में स्थित अपने राजनयिक मिशनों एवं केंद्रों में वैश्विक पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (GPSP V2.0) को लागू कर भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और सुविधा को और सुदृढ़ किया है। यह एकीकृत डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करती है कि देश के भीतर के आवेदकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों, दोनों को अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त हो।

इस तकनीकी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि चिप-युक्त ई-पासपोर्ट का सफल क्रियान्वयन है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ये यात्रा दस्तावेज हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षा और प्रमाणीकरण को और मजबूत बनाते हैं। डिजिटल जैसी प्रणालियों के साथ सुरक्षित एकीकरण तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग से हम आवेदन प्रक्रिया को अधिक तीव्र, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना रहे हैं।

हम 545 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSKs) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी अवसंरचना का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। पासपोर्ट मोबाइल वैन की तैनाती के साथ हम अंतिम छोर तक सेवा पहुँचाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इससे देश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक विश्वसनीय, लचीली और सुविधाजनक सेवाएँ पहुँच रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2013-14 में जारी किए गए 83 लाख पासपोर्ट की तुलना में, वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 138 लाख से ज़्यादा हो गई है। यह वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मैं इस अवसर पर मंत्रालय तथा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों एवं पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी सहयोगियों—डाक विभाग, पुलिस प्राधिकरण, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के सतत योगदान की प्रशंसा करता हूँ।

आइए, आज हम "सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरिक" के मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें। आइए, हम नवाचार को बढ़ावा देने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण में वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लें।


(डॉ. सु. जयशंकर)

जून 24, 2026